शी-बॉक्स पोर्टल

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर** महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये **SHe-Box पोर्टल** लॉन्च किया गया है।

- पोर्टल को **शिकायतकर्त्ता के विवरण को छिपाने तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा केवल आंतरिक समिति (Internal Committee- IC)** या **स्थानीय समिति (Local Committee- LC) के** अध्यक्ष को ही इस जानकारी तक पहुँच होगी।
- पोर्टल पर शिकायत एक पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। यदि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति स्वयं पीड़ित महिला है, तो उसे अपने मूल विवरण जैसे कि उसकी **कार्य स्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल** पर लॉग इन करना होगा।
    - यदि पीड़ित महिला का IC या LC पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शिकायत स्वचालित रूप से जमा हो जाएगी और संबंधित IC/LC को भेज दी जाएगी।
- पोर्टल में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर **नोडल अधिकारियों के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड शामिल है** , जिससे निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या देखी जा सकती है।।
    - अधिनियम के तहत जाँच के लिये **90 दिन का समय** निर्धारित है।

और पढ़ें: यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिये सरकार द्वारा पैनल गठित

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/she-box-portal